-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा व्यक्ति को लाठी डण्डे से मारकर गंभीर रुप से घायल करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा व्यक्ति को लाठी डण्डे से मारकर गंभीर रुप से घायल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12.08.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम जारी के रहने वाले राजाभइया सिंह पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी कि मेरे भाई को गांव के ही व्यक्ति द्वारा लाठी डण्डे से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया। जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम मे आज दिनांक 21.08.2025 को कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिगं के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त महंतु यादव उर्फ कोशण को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महन्तु यादव उर्फ कोशण कुमार यादव पुत्र मंगी यादव निवासी ग्राम जारी थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 202/25 धारा 191(2)/109/352/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण बिहारी लाल मिश्रा
2. उ0नि0 श्री लल्लूराम
3. कां0 दीपक अहिरवार